

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य।
लम्बाई 3.00 कि०मी०

19

संलग्नक सं०-2.1

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

इस मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०-5988/III(2)/15-11—(मु०मं०घो०)/2015, दिनांक 18 अगस्त, 2015 के द्वारा 3.00 कि०मी० की लम्बाई हेतु 297.84 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। यह मोटर मार्ग पूर्व निर्मित एन०एच० 87 ई० से प्रारम्भ होता है एवं बेस चिकित्सालय से विकास भवन तक मोटर मार्ग के कि०मी० 5.00 में समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 कि०मी० आती है। इस मार्ग में सिविल बेनाप व नाप भूमि प्रभावित होती है। ग्राम— नगरपालिका(हदूद बाहक) एवं रैलापाली में कोई भी मोटर मार्ग न होने के कारण यह मोटर मार्ग बनना प्रस्तावित किया गया है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों को अस्पताल, बाजार व स्थानीय उत्पादों को बाजार पहुँचाने की सुविधा प्राप्त होगी। ग्राम— नगरपालिका(हदूद बाहक) एवं रैलापाली में मोटर मार्ग न होने के कारण स्थानीय लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों का पलायन रुकेगा। प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए कोई उचित वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे।

संरेखण न०-1(लाल रंग से):— इस संरेखण को नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में सिविल बेनाप व नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 कि०मी० आती है।

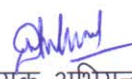
संरेखण न०-2 (हरे रंग से):— इस संरेखण को नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में सिविल बेनाप व नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 3.300 कि०मी० आती है।

इस संरेखण में स्थानीय जनता द्वारा अपनी निजी भूमि दिये जाने में आपत्ति की जा रही है। यह संरेखण तकनीकी दृष्टि से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। जिस कारण संरेखण सं० 2 को निरस्त किया गया।

अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता, ढाल न्यूनतम वृक्षों की क्षति तथा आर्थिक व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए संरेखण सं० 1(लाल रंग से) उपयुक्त पाया गया है इसी संरेखण पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। तदनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया गया है। अतः लो०नि०वि० के पक्ष में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।


अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशर्सी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा